# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 24 / 2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023 / 165

| प्रार्थीगण | अप्रार्थीगण |
|---|---|
| सीता बेन पत्नी अमरा वगैरह | अमरा पुत्र उमाजी वगैरह |

## प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**तारीख रजु :– 18.07.2023**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 6 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही

:– निर्णय :– दिनांक :– 21.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांचौर में होती पुत्र बैचरा के नाम की खातेदारी भूमि थी जो होती के फौत होने पर उमा व मूला के नाम दर्ज हुई जिसके पुराने खसरा नंबर 331 रकबा 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी जो नये सर्वे के दौरान नये सृजित नम्बर 569 व 570 जुमले रकबा 7.51 हैक्टेयर भूमि हमारी पुश्तैनी आयी हुई है जो उमाजी के फौत होने पर उनके पुत्र खंगारा, अमरा व वागा को प्राप्त हुई। उक्त भूमि का उमा के फौत होने पर खंगारा, अमरा व वागा के नाम दर्ज हुई। खंगारा, अमरा, वागा व उनके चाचा मूला में उक्त भूमि का आपसी विभाजन किया गया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 708 दिनांक 17.06.2007 को भरा गया। जिसमें मूल खसरा नंबर 570 का कब्जे व अंश अनुसार विभाजन किया गया। जिसमें खसरा नंबर 3677 / 570 रकबा 1.23 हैक्टेयर खंगारा को, खसरा नंबर 3678 / 570 रकबा 1.23 हैक्टेयर अमराजी को व खसरा नंबर 3679 / 570 रकबा 1.20 हैक्टेयर व खसरा नंबर 569 रकबा 0.03 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.23 हैक्टेयर वागाजी को व खसरा नंबर 570 रकबा 3.72 हैक्टेयर भूमि मूलाजी को बन्ट में दी गई, इसके साथ खसरा नंबर 566 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नंबर 568 रकबा 0.03 हैक्टेयर गैर मुमकिन भूमि जुमले 3.76 हैक्टेयर भूमि मूलाजी के बन्ट में दी गई जो पुश्तैनी भूमि का विभाजन होकर [illegible] के [illegible] खसरा नंबर 3678 / 570 रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि जरिये बंटवाड़ा, जरिये उत्त[illegible]कार [illegible] हुई। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। यह राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है। अमरा पुत्र उ[illegible] [illegible]धिकार, जरिये बंटवाड़ा खसरा नंबर 3678 / 570 रकबा 1.23 हैक्टेयर भूमि प्राप्त [illegible] जो भूमि पुश्तैनी रूप से [illegible] को प्राप्त हुई है जिस पर अमराजी के वारिशों का जन्म से हक है। वादग्रस्त पुश्तैनी भूमि 1.23 हैक्टेयर है जिसमें प्रत्येक खातेदार को 0.15375 हैक्टेयर भूमि बंट में आती है जो अमराजी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

को 0.15375 हैक्टेयर भूमि बैचान का अधिकार था जबकि उन्होंने प्रतिवादी अंतरी व अमिया को संपूर्ण भूमि का बैचाननामा बाले बाले निष्पादित करवाया है जो गलत है। उन्हें ऐसा करने का कतई अधिकार नहीं था। वे मात्र 0.15375 हैक्टेयर भूमि बैचान कर सकते थे। इससे ज्यादा किया गया बैचान शून्य प्रभावी है तथा खसरा नंबर 3678/570 रकबा 1.23 हैक्टेयर में से 1.07625 हैक्टेयर भूमि का बैचान शून्य प्रभावी करार देने हेतु यह दावा श्रीमान की सेवा में पेश है। प्रार्थना–पत्र के मूलभूत आधार स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर गोर किया जाये तो वाद के तीनों ही आधार स्तम्भ हम प्रार्थीगण के पक्ष के है क्योंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। यह राजस्व रेकर्ड से प्रमाणित है जिस पर हमारा पुश्तैनी हक है यह भी कानूनी रूप से प्रमाणित है तथा मौके पर कब्जा भी हमारा पुश्तैनी रूप से है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हम प्रार्थीगण के पक्ष का है। यदि हमें गलत ढंग से पुश्तैनी हक से वंचित किया जाता है तो अपूरणीय क्षति होगी, न की अप्रार्थीगण को, क्योंकि अप्रार्थीगण का कृत्य विधि विरूद्व व हमें पुश्तैनी हक से वंचित रखना है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा सांचौर के खसरा नंबर 3678/570 रकबा 1.23 हैक्टेयर में हम प्रार्थीगण के कब्जासुदा भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें, न किसी अन्य से करावें व राजस्व रेकर्ड में यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद जारी फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 02 अमियों देवी, अप्रार्थी संख्या 03 अंतरी देवी पत्नी जोधाराम फौत के कायम मुकाम 3/1, 3/2, 3/3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना–पत्र पूर्णतया गलत व मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो विधि सम्मत नहीं है। उक्त आराजी पिछले 18 वर्षो से भी अधिक समय से हमारे नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मोके पर हमारा कब्जा काश्त है एवं अन्दर हमारी रहवासीय ढ़ाणीया बनी हुई है। प्रार्थीगण को प्रथम दृष्यह प्रार्थना पेश करन की लोक्स स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थीगण न्यायालय श्रीमान से किसी भी प्रकार का अनुतोष कानूनीयां प्राप्त करने के हकदार नहीं है चूंकि वर्तमान में उक्त वादग्रस्त आराजी हमारे नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया मामला हमारे पक्ष में है तथा मौके पर कब्जा हमारा है जिससे सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार भी अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो आधारभूत सिद्वान्त प्रार्थीगण के विरूद्व तथा हमारे पक्ष [illegible] है। जिससे प्रार्थीगण हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं [illegible] तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन व बलहीन होने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:34 IST
Reason: SelfAttested

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

**:– आदेश :–**

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक **21.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.08.01 11:46:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner